भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 4101
सोमवार, 28 मार्च, 2022/7 चैत्र, 1944 (शक)

राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों में रोजगार योजना

4101. श्री सुखबीर सिंह जौनापुरियाः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही योजनाओं का राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा गत पांच वर्षों के दौरान चलाई जा रही उक्त योजनाओं से राज्य-वार और जिला-वार कितने परिवार लाभान्वित हुए हैं;

(ग) सरकार द्वारा अब तक जिला-वार और राज्य-वार कितनी राशि खर्च की गई है; और

(घ) राजस्थान के टोंक और सवाई माधोपुर जिले में अब तक कितनी राशि खर्च की गई है और उक्त योजनाओं के तहत कितने बच्चों को प्रशिक्षित किया गया है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): जनजातीय कार्य मंत्रालय राजस्थान सहित अधिसूचित अनुसूचित जनजातियों (अजजा) वाले सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बड़ी जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है:

(i) प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन, जिसके दो घटक हैं अर्थात (क) जनजातीय उत्पादों/उत्पादन के विपणन और विकास के लिए संस्थागत सहायता; **(**ख) न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वनोपज (एमएफपी) के विपणन के लिए तंत्र और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास;

(ii) "पूर्वोत्तर क्षेत्र से जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विपणन और लौजिस्टिक्स का विकास"

(iii) राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगमों (एनएसटीएफडीसी/एसटीएफडीसी) को सहायता।

(iv) अनुसूचित जनजातियों के लिए उद्यम पूंजी निधियां, जो 2022-23 से शुरू होने वाली है।

'पीएमजेवीएम' योजना के तहत, जनजातीय कार्य मंत्रालय भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (टीआरआईएफईडी) के माध्यम से वन धन विकास कार्यक्रम चला रहा है, जिसका लक्ष्य वन की पूंजी अर्थात् वन धन का उपयोग करके आदिवासियों के लिए रोजगार सृजन करना है। इस कार्यक्रम के तहत, बड़ी आदिवासी आबादी वाले क्षेत्रों में आदिवासी समुदाय के स्वामित्व वाले लघु वन उत्पाद (एमएफपी) केंद्रित बहु-उद्देश्यीय वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके) स्थापित किए जाते हैं। केंद्र स्थानीय रूप से उपलब्ध लघु वनोपज उत्पाद की खरीद सह मूल्य संवर्धन के लिए सामान्य सुविधा केंद्रों के रूप में कार्य करते हैं। कच्चे उत्पाद के मूल्य संवर्धन से एमएफपी के मूल्य में काफी वृद्धि होना अपेक्षित है और इसके परिणामस्वरूप, संग्रहकर्ताओं की आय में वृद्धि होगी। राजस्थान सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अपनी स्थापना के बाद से लाभार्थियों के साथ संस्वीकृत वीडीवीके की राज्य-वार संख्या अनुबंध-1 में दी गई है।

"पूर्वोत्तर क्षेत्र से जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विपणन और लौजिस्टिक्स विकास" योजना को 2021-22 के दौरान दो वर्ष के लिए अनुमोदित किया गया है, जिसका उद्देश्य जनजातीय उत्पादों की खरीद, लौजिस्टिक्स और विपणन में बढ़ी हुई दक्षता के माध्यम से आदिवासी कारीगरों के लिए आजीविका के अवसरों को सुदृढ़ करना है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) द्वारा आय सृजन कार्यकलापों को चलाने के लिए प्रमुख योजनाएं नीचे दी गई हैं:

सावधि ऋण योजना: एनएसटीएफडीसी प्रति यूनिट ₹50.00 लाख तक की लागत वाली व्यवहार्य परियोजनाओं के लिए सावधि ऋण प्रदान करता है। इस योजना के तहत, परियोजना की लागत के 90% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और शेष राशि सब्सिडी/प्रवर्तक अंशदान/मार्जिन मनी के माध्यम से पूरी की जाती है।

आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई): यह अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए एक विशेष योजना है। इस योजना के तहत, एनएसटीएफडीसी 2.00 लाख रु. तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए 90% तक ऋण प्रदान करता है। इस योजना के तहत वित्तीय सहायता 4% प्रति वर्ष की अत्यधिक रियायती ब्याज दर पर दी जाती है।

स्व-सहायता समूहों (एमसीएफ) के लिए सूक्ष्म ऋण योजना: यह अजजा सदस्यों की छोटी ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्व-सहायता समूहों के लिए एक विशेष योजना है। इस योजना के तहत, निगम प्रति सदस्य 50,000/-रुपये तक का और स्व-सहायता समूह (एसएचजी) को अधिकतम 5 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करता है।

आदिवासी शिक्षा ऋण योजना: यह एक शिक्षा ऋण योजना है, इसके तहत, पात्र अनुसूचित जनजातियों को भारत में पीएचडी सहित पेशेवर और तकनीकी पाठ्यक्रमों को करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

विगत पांच वर्षों के दौरान राजस्थान सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एनएसटीएफडीसीएस द्वारा प्रदान की गई निधियों का ब्यौरा **अनुबंध-2** में दिया गया है।

'अनुसूचित जनजातियों के लिए उद्यम पूंजी निधि' योजना को 2021-22 के दौरान अनुमोदन प्रदान किया गया है। इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और उन्हें रियायती वित्त प्रदान करना है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, भारत सरकार रोजगार सृजन हेतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), ग्रामीण विकास मंत्रालय की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) तथा पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि जैसी विभिन्न परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रही है।

इन योजनाओं के अंतर्गत जिला-वार सूचना तथा प्रशिक्षित बच्चों के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

*****

अनुबंध 1

लोक सभा के दिनांक 28.03.2022 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4101 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-।

पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभार्थियों के साथ संस्वीकृत वीडीवीके की राज्य-वार संख्या

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके) का ब्यौरा और संस्वीकृत निधि

क्र.सं.	राज्य	संस्वीकृत वीडीवीके की कुल संख्या	वीडीएसएचजी की कुल संख्या	वन संग्राहकों की कुल संख्या	संस्वीकृत राशि (रुपये लाख में)
1	आंध्र प्रदेश	415	6225	123258	61.6
2	अरुणाचल प्रदेश	85	1275	25500	12.8
3	असम	302	7140	90316	45.3
4	बिहार	8	120	1630	0.8
5	छत्तीसगढ	139	4170	41700	20.9
6	दादरा और नगर हवेली व दमन और दीव	1	15	302	0.2
7	गोवा	10	150	3000	1.5
8	गुजरात	116	1740	34424	17.2
9	हिमाचल प्रदेश	3	61	810	0.4
10	लद्दाख	10	150	3000	1.5
11	झारखंड	39	585	11601	5.7
12	कर्नाटक	140	1946	41748	20.9
13	केरल	44	660	12038	6.0
14	मध्य प्रदेश	107	1605	32100	16.1
15	महाराष्ट्र	264	3960	79350	39.6
16	मणिपुर	200	3000	60390	30.0
17	मेघालय	39	585	11835	5.8
18	मिजोरम	159	2385	46168	23.1
19	नागालैंड	206	3090	61800	30.9
20	उड़ीसा	170	4110	51019	24.8
21	राजस्थान	479	7322	144803	71.4
22	सिक्किम	80	1200	23800	11.7
23	तमिलनाडु	8	192	2400	1.2
24	तेलंगाना	17	255	5100	2.6
25	त्रिपुरा	32	480	9039	4.4
26	उत्तर प्रदेश	25	375	7191	3.6
27	उत्तराखंड	12	180	3605	1.8
	योग	**3110**	**52976**	**927927**	**461.4**

अनुबंध 2

लोक सभा के दिनांक 28.03.2022 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4101 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-2

विभिन्न योजनाओं के तहत 2016-17 से 2020-21 के दौरान राज्य-वार संवितरित राशि और सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या

क्र,सं.	राज्य	2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21	
		संवितरण	लाभार्थियों की संख्या	संवितरण	लाभार्थियों की संख्या	संवितरण	लाभार्थियों की संख्या	संवितरण	लाभार्थियों की संख्या	संवितरण	लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	691.30	155	2961.24	598	781.72	139	1285.03	276	5022.24	12533
2	अंडमान और निकोबार	0.00	0	0.00	0	0.00	0	245.00	7501		
3	अरुणाचल प्रदेश	1016.73	12306	689.50	10410	324.25	3773	0.00	0	970.52	435
4	असम	172.32	2982	19.06	123	4.92	12	58.20	167	5.00	2
5	बिहार										
6	छत्तीसगढ	506.47	307	1348.85	553	533.55	363	932.16	3787	197.49	236
7	गुजरात	3848.22	24883	4739.90	10812	2329.32	7485	394.75	98	1442.03	8230
8	हरियाणा					0.41	1	0.00	0		
9	हिमाचल प्रदेश	42.30	2069	79.83	61	82.30	65	40.83	75	13.40	2
10	जम्मू और कश्मीर	172.50	150	370.05	195	1249.50	327	446.25	135	408.75	175
11	झारखंड	411.91	3908	4.05	7	85.70	5	633.17	3767	1001.60	10752
12	कर्नाटक	0.00	0	0.00	0	26.89	34	47.38	1911	3109.08	3014
13	केरल	129.91	152	95.72	88	143.40	107	128.31	89	298.76	192
14	मध्य प्रदेश	1084.70	942	2157.20	2209	2014.57	2265	4176.26	13282	3360.10	5685
15	महाराष्ट्र					9.43	11	1167.56	687	37.27	822
16	मणिपुर									62.37	65
17	मेघालय	244.64	983	663.25	2726	3090.60	2329	1745.18	1412	4485.43	35016
18	मिजोरम	2277.87	26935	3456.09	2347	2136.81	1464	6459.22	4670	3324.18	1399
19	नागालैंड	79.50	22	2574.19	631	1582.23	10504	2413.22	51918	1098.72	48240
20	उड़ीसा	153.60	495	310.87	1566	199.62	353	2298.15	11230	1794.44	22231
21	राजस्थान	1409.58	1475	3447.84	2563	1470.54	1364	2311.39	3993	2205.16	2664
22	सिक्किम	623.90	230	198.56	86	0.92	1	253.30	100	82.11	21
23	तमिलनाडु					47.32	65	28.50	2775	12.50	1609
24	तेलंगाना	5000.00	21000	0.00	0	10477.15	30417	2740.07	8661	5359.23	13065
25	त्रिपुरा	4428.31	3644	3054.20	3116	1009.00	429	71.41	24	2216.28	1056
26	उत्तर प्रदेश	0.00	0	301.32	847	3.73	3	0.00	0	1.55	4
27	उत्तराखंड	21.60	18	71.98	104	444.92	170	102.37	23	6.15	2
28	पश्चिम बंगाल	747.60	4370	528.64	3327	1283.30	9078	558.86	4250	275.64	2089
	योग	23062.96	1,07,026	27072.34	42,369	29332.1	70,764	28536.57	1,20,831	36790.00	1,69,539